B.A. Part II (H) Pol. Science
Paper - III

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संवैधानिक महत्व एवं मूल्य सिद्धान्त

प्रत्येक देश के संविधान की एक प्रस्तावना होती है, जिसमें उस देश के संविधान के आदर्शों की झाँकी मिलती है। वस्तुतः किसी देश के संविधान की प्रस्तावना सम्पूर्ण संविधान की कुंजी होती है। अन्य देशों के संविधान की ही तरह हमारे भारतीय संविधान की भी एक प्रस्तावना है, जिसके संबंध में पालन्दे ने ठीक ही लिखा है — "भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन आदर्शों एवं लक्ष्यों की शानदार घोषणा है, जिन्हें भारतीय जनता ने अपने सामने रखा है और जिन्हें वह इस राजनीतिक ढाँचे के द्वारा प्राप्त करना चाहती है, जिसे उसने जान-बूझकर अपने लिए रचा है।"

संवैधानिक महत्व — हमारे संविधान की प्रस्तावना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्वतंत्र भारत के लिए गाँधीजी की विचारधारा पर आधृत है। इस संबंध में M.V. Pylee ने ठीक ही कहा है — "यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिर्फ प्रस्तावना में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संविधान में स्वतंत्र भारत के संबंध में गाँधीजी की विचारधारा प्रत्यक्षतः गूँजती है।"

भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से ही इसकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है। बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संवैधानिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जब मैं इसे पढ़ता हूँ, तब मुझे यह लगता है कि उसमें इस पुस्तक का अधिकांश तर्क संक्षेप में वर्णित है; अतः इसे इसकी कुंजी माना जा सकता है।

मूल्य सिद्धांत → भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कई सिद्धांत निहित हैं जो निम्नलिखित हैं —

(1) जनता की संप्रभुता — प्रस्तावना द्वारा जनता की संप्रभुता स्थापित की गई है। प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि "हम भारत के लोग, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं।" स्पष्ट है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ और भारत की जनता ही भारत की समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। डॉ०

अंबेडकर ने संविधान-सभा में कहा था कि "मैं कहता हूँ कि यह प्रस्तावना इसकी व्याख्या करती है, जो इस सभा के प्रत्येक सदस्य की इच्छा है और वह यह है कि इस संविधान की जड़, शक्ति और संप्रभुता जनता में रहनी चाहिए।" फिर भी कुछ आलोचकों ने इस बात को गलत माना है कि भारतीय संविधान-निर्मात्री सभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हुए थे, बल्कि प्रांतीय विधानमंडल द्वारा ही निर्वाचित हुए थे जिसके लिए केवल 15% जनता को मताधिकार प्राप्त था और उनके द्वारा निर्मित संविधान को समस्त जनता के समक्ष स्वीकारार्थ नहीं रखा गया था। संविधान के समर्थकों का कथन है कि संविधान के निर्माताओं ने जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही संविधान का निर्माण किया और संपूर्ण राजशक्ति का मूल स्रोत भारतीय जनता को ही स्वीकार किया। इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए उन्होंने वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया तथा भारतीय संसद को, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, शक्तिशाली बनाया। 1950 ई० में 'गोपालन बनाम मद्रास राज्य' नामक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी आशय का निर्णय दिया और बताया कि भारतीय जनता ने अपनी सर्वोच्च इच्छा को व्यक्त करते हुए लोकतंत्रात्मक आदर्श अपनाया है, जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तावना करती है।

दूसरी बात यह है कि संविधान के निर्माण में जिन लोगों ने भाग लिया, वे 1952 के आम चुनाव में जनता द्वारा अधिकाधिक संख्या में राज्यों की विधानसभाओं और केन्द्र की लोकसभा की सदस्यता के लिए चुने गए। इससे स्पष्ट है कि यदि विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आम चुनाव होता, तो ये ही प्रतिनिधि अधिकाधिक संख्या में जनता द्वारा चुने जाते।

(ii) प्रस्तावना : संविधान के आदर्शों एवं लक्ष्यों की परिचायिका — प्रस्तावना बताती है कि संविधान का उद्देश्य न्याय, समता, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, बंधुता आदि स्थापित करना है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व, जो फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे, के साथ न्याय को सर्वप्रथम जोड़ दिया गया है, जो यह संकेत करता है कि भारत में राज्य एवं शासन-प्रबंध का उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना है।

(iii) प्रस्तावना — भारत संघ की संप्रभुता तथा उसके लोकतंत्रात्मक स्वरूप की आधारशिला — प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि भारत की जनता ने इस संविधान द्वारा एक 'संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' की स्थापना की है। इन तीनों पदों का भिन्न-भिन्न परंतु विशिष्ट महत्व है। 'संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न' से तात्पर्य उस सर्वोच्च शक्ति से है, जो पूर्ण और अपने क्षेत्र में अनियंत्रित होती है। इस प्रकार, भारत एक ऐसी राजनीतिक सत्ता है, जिसपर भारत के सीमांतर्गत कोई दूसरी सत्ता नहीं है। यह संपूर्ण प्रभुत्व का आंतरिक पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि राज्य बाह्य क्षेत्रों में भी स्वतंत्र एवं सार्वभौम है। ~~इसका~~ इस प्रकार, भारत अपने आंतरिक प्रशासन एवं वैदेशिक नीति में किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। दूसरे, प्रस्तावना द्वारा भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। प्रजातंत्र से तात्पर्य ऐसी सरकार से है, जो जनता की हो और जनता के द्वारा जनता की भलाई के लिए संचालित हो। इस प्रकार, लोकतंत्रात्मक का अर्थ है यह है कि भारत के शासन-प्रबंध में भारतीय जनता का हिस्सा रहेगा और उसकी इच्छा द्वारा ही सरकार का संचालन होगा। इसके लिए जन्म, धर्म, रंग, लिंग इत्यादि के भेदभाव के बिना सभी बालिग नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। 'लोकतंत्रात्मक' शब्द से इस प्रकार की शासन-व्यवस्था की बात कही गई है जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा एवं समान अवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार, 'लोकतंत्रात्मक' शब्द के प्रयोग द्वारा प्रस्तावना सर्वांगीण रूप में एक प्रजातंत्र की स्थापना की घोषणा करती है। तीसरे, प्रस्तावना द्वारा भारत एक गणराज्य घोषित किया गया है। इस शब्द के अनुसार, भारत में किसी वंशक्रम के अनुसार चुने गए राजा अथवा किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है। परन्तु व्यापक अर्थ में गणराज्य से तात्पर्य यह है कि राज्य सभी नागरिकों को योग्यता रहने पर सभी छोटे-बड़े पदों तक पहुँचने का अधिकार देता है। इसी आधार पर भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए सभी भारतीय नागरिक आवश्यक योग्यता रखने पर उम्मीदवार हो सकते हैं।

कुछ आलोचक भारत के लिए राष्ट्रमंडल की सदस्यता को उसकी संप्रभुता एवं गणतंत्रता में बाधक मानते हैं। परंतु, यह धारणा भ्रांत है क्योंकि भारत ब्रिटिश सम्राट के अधीन नहीं है और वह जब चाहे तब राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ सकता

है।

(iv) समाजवादी राज्य — भारत के संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब नई सरकार बनी, तब उसने देश में समाजवादी ढाँचे के समाज की स्थापना की घोषणा की। 42वें संशोधन-अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत एक समाजवादी राज्य है।

(v) धर्मनिरपेक्षता की घोषणा — प्रस्तावना द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यह कहा गया है कि संविधान सभी नागरिकों को विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है और धार्मिक बातों में राज्य पूर्णतः तटस्थ है। 42वें संशोधन-अधिनियम में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़कर भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है।

निष्कर्ष: यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्पण प्रतिबिंबित करता है, परन्तु इसे बहुत सीमित वैधानिक मान्यता प्राप्त है। जब किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं रहता, तब न्यायाधीश प्रस्तावना की शरण लेते हैं।

— x —